न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 27/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/27)

उनवानी प्रकरण :—

उमाशंकर उम्र करीव 52 वर्ष पुत्र श्री लक्खीराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0

.................अपीलान्ट

बनाम

1—राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

2—मुस0 सज्जन पत्नी स्व0 जगन्नाथ । जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम मालौनीपंवार

3—राकेश पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

4—रामअबतार पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ । हाल निवासी ग्राम ढहरे का पुरा

5—जोगेश्वर पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ । तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

................रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 1499 आदेश दिनांक 05.09.1998 बांके ग्राम मालौनीपंवार द्वारा तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट

रेस्पो0सं0 1 की ओर से :— पैरोकार सरकार

रेस्पो0सं0 2लगा05 की ओर से :— श्री गोविन्द सिंह परमार एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 01.08.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट संख्या—2 लगा04 व रैस्पोडेन्ट संख्या 05 नावालिग जो कि अपनी मॉ श्रीमती मुस0 सज्जन पत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ की सरपरस्ती में निबासरत था जो कि अपनी आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 01 वीधा 07 विस्वा ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ में संयुक्त रूप से 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे और मौके पर काबिज काश्त थे तभी रैस्पोडेन्ट संख्या 02लगा04 को अपने अपने खर्चे व अन्य घरेंलू खर्चो के लिये और रैस्पोडेन्ट संख्या 05 नावालिग जोगेश्वर की परिवरिश के लिये रूपयों की सख्त जरूरत रही तब रैस्पोडेन्ट

संख्या 02 लगा04 ने व रैस्पोडेन्ट संख्या–05 नावालिग ने जरिये अपनी माँ श्रीमती मुस0 सज्जन की सरपरस्ती में आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 01 वीघा 07 विस्वा बॉके ग्राम मालौनीपंवार में संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सा सम्पूर्ण 1/2 भाग को अपीलान्ट उमाशंकर से मुवलिक 25,000/–रूपये नकद प्राप्त करके अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 19.06.1998 रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र कर दिया उसी दिवस अपीलान्ट को मौके पर कब्जा व आधिपत्य करा दिया तभी से अपीलान्ट अपने हिस्सा 1/2 भाग पर बिना किसी विघ्न बाधा के काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। अर्सा करीव 10 दिवस पूर्व रैस्पोडेन्ट गॉव में आये और अपीलान्ट व गांव बालो से कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 05 जोगेश्वर का हिस्सा 1/8 भाग को अपीलान्ट से बिधिवत बिक्रय मूल्य राशि प्राप्त करके अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 19.06.1998 को बिक्रय पत्र निस्पादित कर पंजीबद्व करा दिया है उसके बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या–05 जोगेश्वर का नाम आज भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 1/8 भाग पर दर्ज है जिसके आधार पर वह शीध्र ही किसी दिगर व्यक्ति के पक्ष में रहन वय मुन्तकिल कर देगा जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा05 द्वारा बिक्रय किये गये हिस्से को पुनः बिक्रय करने की धमकी देने पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड व नामान्तकरण संख्या 1499 आदेश दिनांक 5.9.1998 की नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को यह ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या–01 तहसीलदार सैपऊ ने नामान्तकरण संख्या 1499 से अपीलान्ट के पक्ष में खोला है उसके राजस्व रिकार्ड में वहिस्सा 1/2 भाग के बजाय गलत रूप से वहिस्सा 3/8 भाग पर अपीलान्ट का नाम अंकित कर दिया है जबकि अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा05 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग को क्रय किया है जिस पर अपीलान्ट का नाम अंकित किया जाना आवश्यक था उक्त गलत नामान्तकरण संख्या 1499 की जानकारी होने के बाद अपीलान्ट अपने पक्ष में किये गये बिक्रय पत्र व अन्य रिकार्ड को लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 तहसीलदार सैपऊ के पास गया तो उक्त गलत व विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1499 को निरस्त कर सही करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। नामान्तकरण संख्या 1499 दिनांक 5.9.1988 विधि विरूद्व एवं अपीलार्थी के हक व अधिकार के बिपरीत तस्दीक किया है जो कि अपीलार्थी के हक व अधिकार के तक एक शून्य व निश्प्रभावी व विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलार्थी जानकारी दिवस के अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वैसे तो उक्त अपील को प्रस्तुत करने में अपीलार्थी द्वारा कोई देरी नहीं की गई है यदि फिर भी कोई देरी हुई है उसके लिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा दिनांक 05.09.1988 को अपीलान्ट के पक्ष में किये नाामान्तकरण संख्या 1499 बावत आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 01 वीधा 07 विस्वा बॉके ग्राम मालौनीपंवार तहसील सैपऊ में रेस्पोडेन्ट संख्या–05 के नाम वहिस्सा 1/8 भाग पर अंकित कर दिया है उसे निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम उक्त आराजी में अपीलान्ट द्वारा क्रय किये गये रेस्पोडेन्ट संख्या 05 के हिस्सा 1/8 भाग पर अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रेस्पो0 संख्या–2 लगा0 5 की

ओर से श्री गोविन्दसिंह परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। रैस्पो0संख्या 2 लगा05 एवं उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 04.07.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि रैस्पो0 संख्या 02लगा04 को अपने खर्चे व अन्य घरेंलू खर्चो के लिये और रैस्पो0 संख्या 05 नावालिग जोगेश्वर की परिवरिश के लिये रूपयों की सख्त जरूरत रही तब रैस्पोडेन्ट संख्या 02 लगा04 ने व रैस्पोडेन्ट संख्या–05 नावालिग ने जरिये अपनी मॉ श्रीमती मुस0 सज्जन की सरपरस्ती में विवादित आराजी में संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सा सम्पूर्ण 1/2 भाग को अपीलान्ट उमाशंकर से मुवलिक 25,000/–रूपये नकद प्राप्त करके अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 19.06.1998 रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र किया तभी से अपीलान्ट अपने हिस्सा 1/2 भाग पर बिना किसी विध्न बाधा के काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 तहसीलदार सैपऊ ने नामान्तकरण संख्या 1499 से अपीलान्ट के पक्ष में खोला है उसके राजस्व रिकार्ड में वहिस्सा 1/2 भाग के बजाय गलत रूप से वहिस्सा 3/8 भाग पर अपीलान्ट का नाम अंकित कर दिया है जबकि अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा05 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग को क्रय किया है जिस पर अपीलान्ट का नाम अंकित किया जाना आवश्यक था। नामान्तकरण संख्या 1499 दिनांक 5.9.1998 विधि विरूद्व एवं अपीलान्ट के हक व अधिकार के बिपरीत तस्दीक किया है जो कि विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 02 लगा04 ने व रैस्पोडेन्ट संख्या–05 नावालिग ने जरिये अपनी मॉ मुस0 सज्जन की सरपरस्ती में विवादित आराजी में संयुक्त रूप से अपना हिस्सा सम्पूर्ण 1/2 भाग को अपीलान्ट उमाशंकर के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1998 के द्वारा विक्रय किया। तहसीलदार सैपऊ ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1499 ग्राम मालौनीपंवार जो दिनांक 05.09.1998 से अपीलान्ट के पक्ष में खोला है उसके राजस्व रिकार्ड में वहिस्सा 1/2 भाग के बजाय गलत रूप से वहिस्सा 3/8 भाग पर अपीलान्ट का नाम अंकित किया है जबकि अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा04 व रैस्पो0सं05 नावालिग ने जरिये अपनी मॉ मुस0 सज्जन की सरपरस्ती में सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग को क्रय किया है जिस पर अपीलान्ट का नाम मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंकित किया जाना न्यायोचित था। अतः इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1499 दिनांक 5.9.1998 में तहसीलदार सैपऊ द्वारा रैस्पो0सं05 जोगेश्वर जो उस समय नावालिग था के हिस्सा 1/8 को छोडकर 3/8 हिस्सा का अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया है वह मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट के अधिकार के

विपरीत तस्दीक किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सैपऊ द्वारा दिनांक 05.09.1988 को अपीलान्ट के पक्ष में किये गये नामान्तकरण संख्या 1499 वावत आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 01 बीधा 07 विस्वा वाके ग्राम मालौनीपंवार में रेस्पो0संख्या–5 जोगेश्वर के नाम वहिस्सा 1/8 भाग पर अंकित कर दिया है उसे निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट का नाम आराजी खसरा नम्बर 1078 रकवा 01 बीधा 07 विस्वा वाके ग्राम मालौनीपंवार में अपीलान्ट द्वारा मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किये गये रेस्पो0संख्या–5 जोगेश्वर के हिस्सा 1/8 भाग पर अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सैपऊ को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को वास्ते पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर